P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

श्रीलंका में संसद तथा न्यायपालिका के वैधानिक स्वरूप तथा व्यावहारिक सम्बन्ध

Legal Forms and Practical Relations of Parliament and Judiciary in Sri Lanka

Paper Submission: 15/06/2021, Date of Acceptance: 23/06/2021, Date of Publication: 24/06/2021

अंशुबाला
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति शास्त्र विभाग,
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विन्दकी,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वर्तमान में श्रीलंका में लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता हैं। यह न केवल सरकार का प्रमुख साथ ही सेना का भी प्रमुख होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निश्चित कार्यकाल हेतु निर्वाचित होता हैं। यह संसद तथा मंत्रिमण्डल में नियुक्त करता है। सदन में जिस दल का बहुमत होता उन्ही को कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। श्रीलंका के संविधान में जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। यहाँ पर स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया हैं संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय हैं। न्यायिक व्यवस्था यहाँ के लोकतान्त्रिक ढ़ाचे को बनाये रखने में सेफ्टी वालव की तरह कार्य करता हैं।

At present, the head of the Democratic Socialist Republic in Sri Lanka is the President. It is not only the head of the government but also the head of the army who are directly elected by the people for a fixed term. It appoints in the Parliament and the Cabinet. The party which has the majority in the house, appoints them as the cabinet and the prime minister. Fundamental rights have been provided to the people in the Constitution of Sri Lanka. Here the independent judicial system has been adopted, under the Constitution, the Supreme Court is the Supreme Court. The judicial system acts like a safety valve in maintaining the democratic structure here.

मुख्य शब्दः राजनीति, दक्षिण एशिया, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन ।
Politics, South Asia, Social, Political and Economic Changes.

प्रस्तावना

हिन्द महासागर के मध्य स्थित श्रीलंका एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हैं। नाशपाती के आकार का यह श्रीलंका द्वीप अपने प्राकृतिक छटा के लिये जाना जाता है। यह भारत के दक्षिणतम भाग से लगा हुआ है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य के पतली सी रेखा इसे भारत से अलग करती है। श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है। यह 'सीलोन' के नाम से जाना जाता था 1972 में इसका नाम श्रीलंका पड़ा। यह बिट्रिश शासन 1948 ई0 में स्वतन्त्र हुआ।

अध्ययन के उद्देश्य

श्रीलंका में संसद तथा न्यायपालिका के वैधानिक स्वरूप तथा व्यावहारिक सम्बन्ध।

साहित्यावलोकन

राजनीतिक दृष्टिकोण से श्रीलंका में प्राचीन काल से बौद्ध मठों में होने वाली प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि वहाँ लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य होता था। आधुनिक संसदीय संस्थाओं की शुरूआत वहाँ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काल में हुआ। जब श्रीलंका सिलोन के नाम से जाना जाता था। दक्षिण एशिया के सभी देशों में श्रीलंका पहला देश था जहाँ 1931 ई0 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर विधायिका के सदस्यो का चुनाव हुआ था। श्रीलंका में ब्रिटिश प्रभुसŸाा से 4 फरवरी 1948 ई0 में स्वतन्त्रता के पश्चात् 1977 ई0 तक बिट्रिश काल में स्थापित द्विदलीय तथा संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता था। ब्रिटिश काल में यहाँ 80ः शिक्षित लोग थें। राजनीति में पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित दो परिवार ही प्रभावी थे जिसमें भण्डारनायके तथा सिरिमामयके प्रमुख थें। 1972 ई0 में श्रीलंका को 'गणतन्त्र' घोषित कर एक सदन वाली संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर फ्रासिसी प्रणाली पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को 1977 ई0 में लागू किया गया। सितम्बर 1978 ई0 में देश का नया संविधान लागू किया गया। जयवर्धने सन् 1978 में देश के राष्ट्रपति बने। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गयी।1 1983 ई0 संवैधानिक संशोधन का संसद का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।

जुलाई 1983 में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व हेतु तमिलों में आक्रोश पैदा हुआ। जातिय संघर्ष में कोलम्बों तथा अन्य शहरों में तमिल गोरिल्लो ने हिंसा को अपनाया। श्रीलंका के राजनीति में जाति का प्रभाव दृष्टिगत होता हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने भी जातिय संघर्ष को समाप्त करने हेतु जुलाई 1987 ई0 में एक शान्ति सेना भी भेजी।

श्रीलंका सरकार ने भी तमिलों की माँग को देखते हुये कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया तथा तमिल भाषा को भी सरकारी भाषा के रूप में ग्रहण किया गया।[2] लेकिन लिट्टे ने समय-समय पर हिंसा के माध्यम से राजनीति को प्रभावित किया है।

4 फरवरी 1948 ई0 ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त होने के पश्चात यहाँ संसदात्मक व्यवस्था वाली लोकतन्त्रिय सरकार का निर्माण किया गया था। 1972 ई0 तथा 1978 ई0 में यहाँ नवीन संविधान का निर्माण किया गया। संविधान में परिवर्तन कर लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मतक व्यवस्था वाली सरकार के स्वरूप स्वीकार किया गया। यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति फ्रांस की भाँति स्वीकार किया गया। 1978 के संविधान द्वारा श्रीलंका को समाजवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया। नवीन संविधान का निर्माण राष्ट्रपति जयवर्धन द्वारा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास तथा देश में नस्ल के आधार पर सिंघली तथा तमिलो के मध्य संघर्ष को कम करने के उद्देश्य को लेकर किया गया।[3] श्रीलंका के वर्तमान संविधान में 172 अनुच्छेद तथा 24 भाग हैं। बौद्ध दर्शन का प्रभाव यहाँ की सामाजिक,राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र पर दृष्टिगत होता है।[4]

संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार बौद्ध के संरक्षण हेतु संविधान में ही प्रावधान है। अनु0 70 के अन्तर्गत सभी धर्मों के संरक्षण के संदर्भ में प्रावधान है।द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2019 में श्रीलंका को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र का दर्जा दिया।[5]

संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत

राष्ट्रपति श्रीलंका गणराज्य का प्रधान संवैधानिक, वास्तविक तथा सेनाओं का भी प्रमुख होता है। औपचारिक दृष्टिकोण से शासन के तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है। नवीन संविधान में न्यायिक व्यवस्था का स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु प्रयास किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। संसद की सहमति पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमण्डल का चयन करता है। राष्ट्रपति के पास किसी भी समय संसद को भंग करने तथा पुनः मतदान करने का अधिकार है।

संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी है और यदि संसद 2/3 बहुमत से परित कर दे तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराये जाने पर राष्ट्रपति को अभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। सत्रहवे संवैधानिक संशोधन के (अक्टू0 2001) अर्न्तगत राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक निकाय का गठन किया जिसे स्वतंत्र न्यायिक आयोगां के गठन का अधिकार दिया गया था बाद में 2005 ई0 में महिन्द्रा राजपक्षे ने इस संवैधानिक निकाय का विरोध किया।

संसद- अनुच्छे 62 के अर्न्तगत संसद का गठन किया गया है। यह एक सदनीय है।6 इसमें कुल 225 सदस्यों का निर्वाचन संवैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत किया जाता है। संसद का कार्यकाल 6 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति किया जाता है जो अपने अच्छे कार्य व्यवहार से कार्यालय सम्बन्धी कार्यों को करता है।

अनुच्छेद-757 के अनुसार- संसद को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत परम्परागत कानूनों में संशोधन तथा आवश्यकतानुसार नये कानून बनाने की शक्ति है।संसद को निम्न सन्दर्भ में कानून बनाने का अधिकार नहीं है-

1. संविधान के किसी भाग पर प्रतिबन्ध लगाना
2. संविधान पर प्रतिबन्ध लगाना

अनुच्छेद 828- संविधान में संशोधन के सन्दर्भ में- संशोधन से सम्बन्धित कोई विधेयक कानून तब तक नहीं बनता जब तक उसे संसद पारित न कर दें। संसद में विधेयक के विषय पर उसके औचित्य के संदर्भ में बहस होती है। संसद में बहुमत से पारित होने पर ही उसे वैधानिक स्वरूप प्राप्त होता है। 18वें संवैधानिक संशोधन के अर्न्तगत राष्ट्रपति की अधिकार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुयी। संसद पर नियंत्रण भी बढ़ गया तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून को रद्द कर दिया गया।

न्यायपालिका

श्रीलंका में औपनिवेशिक विरासत ने न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वतंत्रता के पश्चात् भी यहाँ के संविधान में स्वीकार किया गया। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 105 के अर्न्तगत न्यायपालिका की संरचना के सन्दर्भ में दिया गया है।

न्यायपालिका की संरचना [9]

श्रीलंका में न्यायपालिका संवैधानिक तथा मानवाधिकार के सुरक्षा में असफल रही है। न्यायपालिका विधि के शासन के अर्न्तगत नस्लीय तनाव (सिंघली तथा तमिलों के मध्य) को कम करने में असफल रही। 1978 के नवीन संविधान में न्यायिक नियुक्तियों के सन्दर्भ में राष्ट्रपति के अधिकार को कम करता है। 17वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक परिषद राष्ट्रपति के न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में अधिकार को कम करता है। इस समय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सारथ-एन डिसिल्वा ने निचले अदालतों तथ सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों, स्थानान्तरण, पदच्युत तथा इनके प्रशासनिक शक्ति के विषय में निर्णय हेतु गठन पर बल दिया। वर्तमान संविधान में। 18वें संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून को महिन्द्रा राजपक्षे आयोग में मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य दो वरिष्ठ न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।[10]

संविधान के भाग 3 में 8 मौलिक अधिकार दिये गये हैं जिसके सुरक्षा का अधिकार न्यायपालिका को ही संविधान के अंतर्गत दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अर्न्तगत सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में हुआ है। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से अछूती नहीं रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन होने वाले मानवाधिकार के हनन हेतु नियम बनाये- किन्तु सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक संघर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कारण रोक पाने में असफल रही। 1978 के संविधान में उच्चतम न्यायालय अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रभाव कार्यपालिका पर भी डाला।[11]

1997 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदो के आयोग ने सर्वेक्षण में पाया कि संवैधानिक दृष्टिकोण से न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र भ्रामक है।[12]

संसद तथा न्यायपालिका के मध्य वैधानिक सम्बन्ध

अनु0 105-106 न्यायालय के बैठक तथा विशेष न्यायालय का गठन संसद द्वारा ही किया जाता है। पारिवारिक मामले, लिंग आधारित विषय, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जनसुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दो विचार पर किया जाता है।

अनु0 113- के अन्तर्गत -न्यायिक सेवा आयोग के सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमण्डल के सहमति पर किया जाता है।

अनु0 121- के अन्तर्गत न्यायपालिका की किसी भी साधारण विधेयक के सन्दर्भ में अधिकार क्षेत्र यह राष्ट्रपति के सहमति से ही सम्भव है।

अनु0 125- संवैधानिक विषय से सम्बन्धित मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अनु0 129- सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शकारी अधिकारिता।

अनु0 131- सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है यदि कोई व्यक्ति संसद के विशेषाधिकार का हनन करता है तो उसे दण्ड देने का।

अनु0 136- के अन्तर्गत न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत यह है कि संसद की सदस्यता हेतु कोई सदस्य से सम्बन्धित कानून के अर्न्तगत उपर्युक्त है या नहीं इसकी जांच कर सकता है।

अनु0 91- किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में।

अनु0 107- न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उन्हें सवैधानिक कानूनों कें उल्लंघन तथा गलत आचरण करने पर हटाने की प्रक्रिया में संसद द्वारा बहुमत से पारित होन चाहिए।

वैधानिक दृष्टिकोण से न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव

न्यायिक नियुक्तियों तथा न्यायिक सेवा आयोग के गठन पर संसद की प्रभावकारिता दृष्टिगत होती है। सत्रहवें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सांसद के प्रभाव को कम करने हेतु (न्यायिक नियुक्तियों में) संवैधानिक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया किन्तु यह असफल रहा है। महिन्द्रराज पक्षे ने इसका विरोध किया। 2009 में राष्ट्रपति महिन्द्राराजक्षे ने न्यायिक सेवा तथा आयोग सदस्यों न्यायाधीशो की नियुक्ति के माध्यम से सीधी भर्ती किया। 2009 में महिन्द्रा राजपक्षे ने मुख्य न्यायाधीश अशोका डिसिल्वा तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशो की नियुक्ति में संवैधानिक परिषद से सलाह नहीं लिया। निम्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हटाने में राष्ट्रपति का प्रभाव दृष्टिगत होता है।[13] सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है यह निश्चय करता है कि संसद संविधान के अर्न्तगत 1982 में संसद का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया जनमत संग्रह के माध्यम यह प्रस्ताव आया था।

व्यावहारिक सम्बन्ध

दक्षिण एशिया में श्रीलंका पिछले दशकों तक नस्लीय संघर्ष (तमिल तथा सिंहली के मध्य) का शिकार रहा है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने में गतिरोध रहा है।17 मानवाधिकार के हनन के सन्दर्भ में जहाँ न्यायपालिका मौन रही वही संसद में विपक्ष की दुविधाजनक स्थिति ने राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध पैदा किया। न्यायपालिका व्यवहार में राजनीतिक प्रभाव से स्वयं को अलग नहीं रख सकी। बहुसंख्यक सिंघली का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के अंगों में अधिक रहा है। अल्पसंख्यक तमिल अपने अधिकार के लिये हथियार तक उठा लिये 'लिट्टे' जैसे संगठन का उदय अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा के लिये किया गया जिन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार कर मानवाधिकार का हनन किया। मानवाधिकार की रक्षा तथा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा न्यायपालिका तथा संसद के सम्मुख बड़ी चुनौती थी। दोनों ही इस चुनौती पर खरे नहीं उतरे। संविधान के 1972 तथा 1978 में परिवर्तन कर परिस्थितियों अनुरूप नवीन संविधान का गठन किया गया।

श्रीलंका की न्यायपालिका संवैधानिक तथा मानवाधिकार की सुरक्षा में असफल रही। अल्पसंख्यक समुदाय ने अपने हितों की पूर्ति हेतु सैन्यीकरण का सहारा लिया। सारथ-एव डिसिल्वा ने न्यायपालिका पर संसदीय प्रभाव को कम करने के सन्दर्भ में न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियों की परामर्श दिया। श्रीलंका में दो कानून ;पद्ध नागरिक सुरक्षा अध्यादेश तथा 1979 आतंकनिवारक अध्यादेश ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को घटाया।[14]

धर्म के सन्दर्भ में

अक्टूबर 2004 ई0 में जाति का हेला उरूमाया ;श्रभ्द्ध राज0 दल बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया। मई 2005 में यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजा गया15 कि इस विधेयक का कुछ भाग असंवैधानिक है। श्रण्भ्न्ण् ने पुनः विधेयक को रूपान्तरण कर संसद में भेजा, जून 20.04 में बौध धर्म विषयक मंत्री ने दूसरा विधेयक देशके अटार्नी जनरल के पास पुर्नविचार हेतु भेजा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस विधेयक का कुछ भाग असंवैधानिक है किन्तु श्रण्भ्न्ण् के अपराधिक रूपान्तरण को स्वीकार किया यह विधेयक संसदीय समिति के पास भेजा गया। संविधान में बौद्ध धर्मप्रमुख स्थान पर तथा अन्य धर्म को भी अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 2004 ई0 के संवैधानिक संशोधन मे संसद द्वारां बौद्ध धर्म को राष्ट्र का धर्म घोषित किया गया।

1983 ई0 में सरकार ने बौद्ध धर्म प्रधान सिंघली जिनका संघर्ष अल्पसंख्यक तमिल (इसका आतंकी संगठन लिट्टे (Liberation tigers of tamil Elam) जिनसे अलग राष्ट्र की माँग के आधार पर संघर्ष रहा था। 2001 में लिट्टे तथा सरकार दोनों ने संघर्ष समाप्त का एलान किया यह झूठा साबित हुआ 2003 में लिट्टे ने वार्ता से इन्कार कर दिया। इन संघर्ष काल में मानवाधिकारी का हनन हुआ, न्यायपालिका तथा संसद के मध्य गतिरोध भी सामने आये न्यायपालिका राजनीति से प्रभावित हुयी तथा मानवाधिकार की सुरक्षा के में सफल नहीं हो सकी।16 मई में सरकार के आमंत्रण पर स0रा0 की विशिष्ट प्रतिनिधि आसमॉ जहांगीर ने धार्मिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में कई बैठकें संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत की। उनके अनुसार बलपूर्वक समझौता अनिश्चित है। किन्तु प्रत्यक्ष कोई प्रस्ताव सम्भव नहीं है।

भारत के सुझाव पर कि लिट्टे के विरूद्ध सैन्य कार्रवायी के दौरान युद्ध अपराधो तथा मानवाधिकारों के हनन की जांच का काम श्रीलंका की एजेन्सियों के माध्यम से किया जाय स्वीकार कर लिया गया।[17] श्रीलंका सरकार द्वारा गठित एल.एल.आर.सी. आयोग की रिपोर्ट में जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान व मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों की जॉच के बारे में दिये गये सुझाव का भी भारत ने समर्थन किया।

1983 से देश में जातीय संघर्ष के कारण लगे आपात काल को सरकार ने 9 सितम्बर 2001 के पश्चात से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। लगभग चौथाई सदी तक चले खून-खराबे का असल खामियाजा वहाँ की निर्दोष जनता तमिलों को ही चुकाना पड़ा था उनकी हालत चक्की के दो पाटों के बीच पिसने वाले अनाज की तरह हो गयी थी। अतः भारत का प्रभाव के पक्ष में वोट देना न्यायिक कदम रहा है। श्रीलंका की न्यायपालिका के समक्ष भी तमिलों की समस्या, भेदभाव तथा दमन का बुनियादी कारण लिट्टे द्वारा अलगाववादियों को पैदा करना रहा है। अब लिट्टे का दमन हो चुका है। अतः भविष्य में तमिल नागरिक अपने मानवाधिकार की रक्षा की अपेक्षा सरकार से कर सकते हैं।[18]

श्रीलंका में न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाय तो पिछले 25 वर्षों में बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच चले आ रहे जातीय संघर्ष में लगभग 80 हजार लोगों की मौत के पश्चात पिछले कुछ वर्षों में प्रभाकरन की मौत के बाद विकास को मुद्दा बनाया गया है।[19] लेकिन विकास किसका हो रहा है वह बहुत बड़ा सवाल है। कृषक जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। और चीन का प्रभाव से यह चमचमाती सड़के ही दिख रही है। अमेरिकी

संस्था इण्टरनेशनल सेण्टर फार जर्नलिस्ट ने यह पाया कि सुनामी का असर किसानों पर देखा जा सकता है। किसानों की फसल तबाह होने पर सरकार किसानों को मुआवजा तक नहीं देती। सरकार कृषकों को सब्सिडी तक नहीं देती उन्हें सूद पर कर्ज लेना पड़ता है वहीं विकास के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरक्की से इतर शहर की सड़के बनायी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रस्ताव मंे 22 मार्च 2012 को जिनिवा में लिबरेशन टाइगर आफ तमिल ईलम (LTTEE) अर्थात् लिट्टे के विरूद्ध वर्ष 2009 की लड़ाई में युद्ध अपराधों के लिये श्रीलंका सरकार की निंदा किया। इस प्रस्ताव में श्रीलंका को तमिल विद्रोहियों के विरूद्ध संघर्ष के दौरान युद्ध अपराध का दोषी माना गया। 47 सदस्यीय स0रा0 मानवाधिकार परिषद में भारत समेत 24 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालद्वीव ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। मालद्वीव ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि श्रीलंका को 'रिकमंडेशन्स आफ द लेसंस लर्ट एण्ड रिकॉन्सलिएशन कमीशन (RLPC) को लागू करने का समय दिया जाना चाहिये।

2015 में संविधान के अनुच्छेद 46(2) में किये गए 19वें संषोधन-

श्रीलंका में शासन की अर्द्धराष्ट्रपति प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अलावा राष्ट्रपति की भी बड़ी भूमिका होती है। 2015 से पूर्व यहाँ का प्रधानमंत्री देश की विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता था। जबकि, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख, सरकार का प्रमुख और सशस्त्र बलों का मुखिया होता था। यानी इस लिहाज़ से देखें तो राष्ट्रपति के हाथ में प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा शक्तियाँ होती थीं।

2015 से पूर्व तक राष्ट्रपति के हाथ में प्रधानमंत्री को हटाने और संसद को भंग करने के भी स्वतंत्र अधिकार थे। लेकिन 2015 में संविधान के अनुच्छेद 46(2) में किये गए 19वंे संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को अपने विवके से हटाने का अधिकार नहीं रह गया है। साथ ही अब, जब तक संसद पाँच साल की निर्धारित अवधि में से साढ़े चार साल पूरे नहीं कर लेती, राष्ट्रपति को उसे भंग करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। वह अपने विवेकाधिकार पर प्रधानमंत्री को हटाने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री को केवल तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मंत्रिमंडल को बखोस्त कर दिया जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे या प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाए। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है।

ठसके अलावा, श्रीलंकाई संविधान यह भी कहता है कि अगर प्रधानमंत्री सदन में विश्वास मत हासिल न कर सके या सरकारी नीति या बजट को पास न करा सके तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। लेकिन, गौर करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त किया तब ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री विक्रमरणसिंघे का यह भी दावा है कि जब तक कैबिनेट मौजूद है वह कैबिनेट के हेड हैं। कैबिनेट के रहते हुए उनको प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता।

ऐसी स्थिति में यह न्यायिक मामला बन जाता है लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रपति ने संसद सत्र को तीन हफ्ते के लिये भंग कर थोड़ी मुश्किल ज़रूर पैदा कर दी। इन तीन हफ़्तों में काफी कुछ बदल सकता था। इस पूरी प्रक्रिया ने देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी। स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाना चाहिये था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि संसद का सत्र बुलाकर यह देखा जाए कि बहुमत किसके पास है और यह तुरंत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

नवम्बर 2019 के राष्ट्रपति चुनावों में राजपक्षे परिवार ने सत्ता हासिल की। उनके छोटे भाई और पूर्व युद्धकालीन रक्षा प्रमुख गोटबाया राजपक्षे ने चुनाव जीता और उन्होंने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगस्त 2020 में संसदीय चुनावों में उनकी सत्ता की पकड़ मजबूत हुई। परिवार की राजनीतिक पार्टी श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट (इसके सिंहली अध्यक्ष ैस्च्च् द्वारा जाना जाता है) को संसद में शानदार जीत और स्पष्ट बहुमत मिला। राजपक्षे परिवार के पाँच सदस्यों ने संसद में एक सीट जीती। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे नए प्रधानमंत्री बने।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जप, जेम्स, "श्रीलंका-"थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी" 1978 एन. जे. फ्रैंक केस, 1978*
2. *कीर्नी, रॉबर्ट एन. "द पालिटिक्स आफ सीलोन" 1973, थाका एण्ड लन्दन कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस इनसाइक्लोपीडिया आफ साउथ एशिया, पृष्ठ – 122*
3. *थामस. जे. नेसिस्टर, "डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पब्लिक आफ श्रीलंका", लेख-साउथ एशिया पालिटिक्स जर्नल में।*
4. *श्रीलंका का संविधान*
5. *द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (8 जनवरी 2019)*
6. *श्रीलंका का संविधान*
7. *श्रीलंका का संविधान*
8. *Sources : Srilanka judiciary : priticised courts, compromised right crisis group Asia Report - N 172, 30 June, 2009.*
9. *Srilanka judiciary: priticised courts, compromised right crisis group Asia Report - N 172, 30 June, 2009.*
10. *अनु0 120 और 121 के अर्न्तगत*
11. *Art 82 (5) of 1878 Costitution Amendments that change specified fundamental aspects of the constitution must be enacted by referendum.*
12. *www.judicial Role under the constitution of Sri Lanka, 30/6/09*
13. *Asian Journal political Science, Sher Adnan falak, "Governance Vs Judicial Activism, Dec. 2010. Page-275*
14. *www.Judicial Role Under the Constitution of Ceylon/Sri Lanka.*
15. *पांडियन, उर्मिला, "रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, 1976 लन्दनः सी. हर्सट् और को-ऑपरेशन लि0, पृष्ठ - 73*
16. *भासिन, डा0 माधुरी, "साउथ एशिया एण्ड और द फोर्थ वेब आफ "डेमोक्रेसी लेख- साउथ एशिया जर्नल, मार्च-31-मार्च-2011.*
17. *www.rashtriyasahara.com- 27/1/11*
18. *"Human Development in South Asia" Journal, 1997, Page - 98*